कार्यालयः— सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)

प्रेस नोट

आज दिनांक 15.03.2022 को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के सभागार में श्रीमती सीमा जौनसारी सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं के शांन्तिपूर्वक व नकलविहीन परीक्षा सम्पादित कराने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य संकलन केन्द्रों एवं उप संकलन केन्द्रों के उप नियत्रंक उपस्थित थे। इस वर्ष हाईस्कूल में संस्थागत—127414 व व्यक्तिगत 2371 कुल—129785 परीक्षार्थी तथा इण्टरमीडिएट संस्थागत—110204 व्यक्तिगत—2966 कुल—113170 परीक्षार्थी प्रदेश के 1333 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देंगे। प्रदेश में कुल 191 संवेदनशील व 18 अति संवेदनशील केन्द्र बनाये गये हैं। प्रदेश में 13 मुख्य संकलन व 24 उप संकलन केन्द्र बनाये गये हैं, परिषदीय परीक्षा दिनांक 28 मार्च, 2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को समाप्त होगी। सभापति द्वारा समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जनपद में परीक्षायें शान्तिपूर्वक व नकल विहीन सम्पादित की जांय। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं के सुचितापूर्ण सम्पादन व किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने हेतु समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र व्यवस्थापकों व कस्टोडियन द्वारा सुनिश्चित करवा ली जाय। बैठक में परिषद् के डॉ0 नीता तिवारी, सचिव, श्री लीलाधर व्यास अपर निदेशक कुमाऊँ मण्डल, श्री एन0सी0 पाठक, श्री बी0एम0एस0 रावत, अपर सचिव, श्री गोपाल स्वरूप, उप निदेशक, श्री सी0पी0 रतूड़ी, उप सचिव, श्री बी0सी0 उप्रेती, मु0प्रशा0अधि0, श्री एन0के0 जोशी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री राजीव रावत प्रशासनिक अधि0 एवं श्री इन्दु प्रकाश नेगी, प्रशा0अधि0 आदि उपस्थित रहे।

ह0/—

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव

पत्रांकः उ0वि0शि0प0/सिस्टम सेल/14722 /2021—22 दिनांक 15—03—2022

प्रतिलिपिः सम्मानित संपादक— अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स, उत्तर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड संस्करण पृष्ठ पर **निःशुल्क** प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

15/3/2022

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

1– मस्तिष्क स्तम्भ से पीड़ित (स्पेस्टिक), दृष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए छूटः–

(क) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने वाला पूर्ण नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक छात्र श्रुतलेखक की सेवाएं ले सकता है और उसे प्रश्न पत्र के प्रत्येक घण्टे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जा सकता।

(ख) डिस्लेक्सिक, स्पैस्टिक तथा दृष्टि एवं श्रवण दोष वाले छात्र/छात्राओं के पास दो भाषाओं के एवज में एक अनिवार्य भाषा में अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा परिषद् द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की मूल भावना के अनुकूल होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय लिये जा सकते हैंः–

गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा (विहित पाठ्यक्रम के अनुसार कोई एक भाषा), गृह विज्ञान, पेंटिग, संगीत हिन्दुस्तानी म्यूजिक वोकल, हिन्दुस्तानी म्यूजिक मेलोडिक इन्स्ट्रुमैण्टस् (HINDUSTANI MUSIC VOCAL & HINDUSTANI MELODIC INSTRUMENTS)

(ग) ऐसे छात्र/छात्राओं को अपनी विकलांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र अग्रसारण अधिकारी को प्रस्तुत करना है। यदि अग्रसारण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतया संतुष्ट हो, छूट प्रदान की जायेगी।

श्रुतलेखक की नियुक्ति

विशेष परिस्थितियों में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने के उपरान्त ही मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रुतलेखक की नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

श्रुतलेखक निम्नलिखित परिस्थितियों में लिए जा सकते हैंः–

1. (क) किसी दृष्टिहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मस्तिष्क स्तम्भ (स्पेस्टिक) परीक्षार्थियों के लिए, जो अपनी विकलांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

(ख) परीक्षार्थियों के अचानक बीमार होने के कारण, लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(ग) परीक्षार्थी के दुर्घटना होने की स्थिति में परीक्षा में उसके लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो।

2. श्रुतलेखक को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसके लिए परीक्षा दे रहा है, तथा उसके प्राप्तांक पिछली परीक्षा में 45 प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न हों।

अथवा

श्रुतलेखक दो कक्षा नीचे का विद्यार्थी हो।

3. श्रुतलेखक–आवेदन पत्र परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा। श्रुतलेखक का चयन होने के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन होने पर यह आवेदन पत्र परीक्षा समाप्ति पर परिषद् को प्रेषित होगा।

4. जिस परीक्षार्थी के लिए श्रुतलेखक की अनुमति दी जाती है उसके लिए केन्द्र व्यवस्थापक अलग कमरे व निरीक्षक की व्यवस्था करेगा।

निःशक्तजन परीक्षार्थियों को निकटवर्ती सुविधाजन परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाय निःशक्तजन परीक्षार्थियों को बाधा रहित परीक्षा केन्द्र पर भूतल में बैठने की सुविधा प्रदान की जाय।